भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1220

दिनांक 09 फरवरी, 2021 के लिए प्रश्न

विषय: गुणवत्तापरक दुग्ध कार्यक्रम

1220. श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने हाल ही में गुणवत्तापरक दुग्ध कार्यक्रम आरम्भ किया है और यदि हां, तो लक्ष्यों और उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डीएएचडी को अब तक राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(घ) एनपीडीडी के तहत राज्यों को विशेषकर ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड को निधियों की कितनी राशि जारी की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा दूध की घरेलू खपत और विश्व निर्यात में दूध और दुग्ध उत्पादों की बढ़ती हिस्सेदारी के लिए वैश्विक (कोडेक्स) मानकों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने पूरे देश में प्राथमिकता के आधार पर दूध में मिलावट तथा संदूषण की जांच में सहायता के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण दुग्ध कार्यक्रम शुरू किया है।

(ख) से (घ): डीएएचडी को मार्च, 2014 से दिसंबर, 2020 तक एनपीडीडी के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से 183 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। दिनांक 31.12.2020 तक की स्थिति के अनुसार कुल 1775.93 करोड़ रुपए के परिव्यय (1442.40 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता) के साथ 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 147 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान (31.12.2020 तक) एनपीडीडी योजना के अंतर्गत प्राप्त और संस्वीकृत परियोजनाओं का उनकी अनुमोदित लागत तथा जारी की गई निधियों के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ड.) डीएएचडी ने दूध की घरेलू खपत के वैश्विक (कोडेक्स) मानकों को प्राप्त करने तथा विश्व निर्यात में दूध और दूध उत्पादों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) राज्यों के प्रयासों को पूरा करते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम तथा डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास योजनाओं के माध्यम से दूध एवं दूध उत्पादों के प्रशीतन, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण/ सृजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

(ii) एनडीडीबी ने डेयरी सहकारिताओं द्वारा निर्मित दूध तथा दूध उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और स्वच्छता संवर्धन के प्रचार-प्रसार तथा प्रोत्साहन हेतु क्वालिटी मार्क लोगो और प्रक्रिया प्रमाणन प्रदान करने के लिए जनवरी, 2016 से पहल की है। इसका लक्ष्य घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार के बाजार के लिए दूध तथा दूध उत्पादों की सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की प्रक्रिया में सुधार करना है। शुरु से अब तक 45 डेयरी इकाईयों को क्वालिटी मार्क लोगो और प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

*****

अनुबंध

वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान (31.12.2020 तक) एनपीडीडी योजना के अंतर्गत प्राप्त और संस्वीकृत परियोजनाओं की उनकी अनुमोदित लागत तथा जारी की गई निधियों के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**प्राप्त परियोजनाओं की संख्या**	**संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण (करोड़ रुपए में)**		
				अनुमोदित लागत	**केंद्र का हिस्सा**	**जारी की गई निधियां**
1	आंध्र प्रदेश	4	3	32.43	28.84	22.12
2	अरुणाचल प्रदेश	2	2	11.91	11.26	8.84
3	असम	3	1	0.85	0.85	0.85
4	बिहार	16	16	238.26	195.73	183.87
5	छत्तीसगढ़	3	3	23.39	20.96	11.14
6	गोवा	2	2	16.90	13.93	8.34
7	गुजरात	5	4	109.11	70.07	64.37
8	हरियाणा	4	4	25.24	21.33	14.29
9	हिमाचल प्रदेश	4	4	42.97	39.48	20.00
10	जम्मू और कश्मीर	4	4	151.12	139.81	41.31
11	झारखंड	3	2	20.94	17.66	7.19
12	कर्नाटक	6	6	128.27	97.37	70.15
13	केरल	12	9	130.20	97.51	88.83
14	मध्य प्रदेश	13	11	63.61	54.74	53.43
15	महाराष्ट्र	13	3	49.47	45.07	31.92
16	मणिपुर	3	2	10.29	9.30	9.30
17	मेघालय	5	3	25.40	22.63	14.52
18	मिजोरम	3	3	11.01	10.31	10.31
19	नागालैंड	4	4	13.06	12.15	8.20
20	ओडिशा	6	6	54.08	49.82	35.00
21	पुडुचेरी	4	3	3.42	3.25	2.83
22	पंजाब	10	6	99.71	67.50	67.08
23	राजस्थान	20	17	167.18	137.21	107.05
24	सिक्किम	4	3	15.12	14.17	13.63
25	तमिलनाडु	7	7	146.00	105.81	88.67
26	तेलंगाना	6	5	38.37	31.98	26.89
27	त्रिपुरा	3	2	22.13	19.52	13.43
28	उत्तर प्रदेश	7	6	79.85	66.49	44.59
29	उत्तराखंड	4	3	41.60	33.72	32.00
30	पश्चिम बंगाल	3	3	4.03	3.93	2.92
	कुल योग	**183**	**147**	**1775.93**	**1442.40**	**1103.07**